उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग

(1996 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक–1)

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT, 1996

(President's Act No. 1 of 1996)

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996[1]

[1996 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक–1]

[भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 2001

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2005

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 2007

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, 2014

द्वारा संशोधित

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिए आयोग के गठन और उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1995 की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित करते हैं :

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम 1996 है।

(2) यह 17 नवम्बर 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में–

(क) ''पिछड़ा वर्ग'' से नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत है जो समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है ;

(ख) ''आयोग'' से धारा 3 के अधीन गठित पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) ''सदस्य'' से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं ;

(घ) ''अनुसूची'' के समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–1 अभिप्रेत है।

अध्याय 2

पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग

पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का गठन

3–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी, जिसे पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग कहा जाएगा।

(2) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

---

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

[1][(3) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और [2][पच्चीस अन्य सदस्य] होगें।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1, 1996 की धारा 3 का संशोधन

[3][परन्तु यह कि अल्पसंख्यक समुदाय से कम से कम एक प्रतिनिधि आयोग में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।]

स्पष्टीकरण :– इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ शब्द 'अल्पसंख्यक' का अर्थ वही होगा जैसा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994) में परिभाषित है।]

पदावधि और सेवा की शर्तें

[4][**4**–(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के कार्यकाल के लिये पद धारण करेगे,

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त धारण करेंगे।**]**

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1, 1996 की धारा 4 का संशोधन

(2) यदि सदस्य राज्यपाल को सबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा यथस्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद किसी भी समय त्याग सकेगा, किन्तु जब तक उनका त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाता वह अपने पद पर बना रहेगा।

(3) [5][x x x]

(4) उपधारा (2) के अधीन कार्यरत या अन्यथा होने वाली रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाए।

[6][(6) (क) अध्यक्ष को राज्य के राज्यमंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी।

(ख) उपाध्यक्ष को राज्य के उपमंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी।]

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

5–(1) राज्य सरकार आयोग के लिए सचिव और ऐसे सक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो आयोग के कृत्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो ।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी श्रेणी के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 2007 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, 2014 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, 2014 की धारा 2(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 2007 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपरोक्त अधिनियम की धारा 3(ख) द्वारा निकाला गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 2007 की धारा 3(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

वेतन और भत्तों का अनुदानों से संदाय

6–अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का तथा प्रशासनिक व्ययों का, जिनके अन्तर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के संदेय, वेतन भत्ते, और पेंशन है, धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदाय किया जायेगा।

रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

7–आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

8–(1) आयोग का अधिवेशन, जब भी आवश्यकता हो, ऐसे समय और स्थान पर होगा, जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी दवारा अधिप्रमाणित किए जाएगें।

अध्याय–3

आयोग के कृत्य और शक्तियां

आयोग के कृत्य

9–(1) आयोग निम्नलिखित सभी या किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात –

(क) आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोधों की जांच करेगा और ऐसी अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किये जाने या सम्मिलित न किए जाने की शिकायतों की सुनवाई करेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसी वह उचित समझे ;

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायोंकी प्रणाली का मूल्यांकन करना;

(ग) पिछड़े वर्गों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किए जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना ;

(घ) पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ;

(ङ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(च) पिछड़े वर्गों के संरक्षण कल्याण और सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा किए जाऐं, सिफारिश करना ;

(छ) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का जो राज्य सरकार द्वारा उनको निर्दिष्ट किए जाएं, निर्वहन करेगा ;

(2) राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश का अस्वीकार किए जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी।

आयोग की शक्तियां

10–आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने, शक्ति और विशिष्टियां निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वे सभी शक्तियां होंगी, जो किसी वाद का निवारण करते समय सिविल न्यायालय को होती है अर्थात–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना और

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित का नियतकालिक पुनरीक्षण

11–(1) राज्य सरकार किसी भी समय अनुसूची से उन वर्गों की, जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गये हैं, निकालने या नये पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने की दृष्टि से अनुसूची का पुनरीक्षण कर सकती है और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की समाप्ति पर और उसके पश्चात् दस वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि की समाप्ति पर ऐसा पुनरीक्षण करेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय 4

वित्त लेखा और सम्परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

12–(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझें।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशि खर्च कर सकेगा, जो वह ठीक समझें और यह धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएगी।

लेखा और संपरीक्षा

13–(1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार करेगा जो विहित की जाए।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, लेखा परीक्षा के द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो विहित किए जाएं।

(3) लेखा परीक्षक की बहियों, लेखाओं सम्बन्धित बाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रादि को पेश करने की अपेक्षा करने और आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने की ऐसी शक्ति होगी, जो विहित की जाए।

वार्षिक रिपोर्ट

14–आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण होगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना

15–राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही धारा 9 के अधीन आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही का और यदि ऐसी सलाह अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों का ज्ञापन तथा संपरीक्षा रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना

16–आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएगें।

नियम बनाने की शक्ति

17–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वनामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात –

(क) धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ;

(ख) यह प्रारूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया जायेगा।

(ग) प्रपत्र, जिसमें और समय जब धारा 14 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

(घ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।

शास्ति

18–जो कोई धारा 10 के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करने के लिये वैध रूप से आवद्ध होते हुए, इस आदेश या निर्देश की जानबूझ कर अवज्ञा करें वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन, जैसी भी स्थिति हो दण्डनीय होगा।

अपराध का संज्ञान

19–कोई न्यायालय धारा 18 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आयोग के किसी अधिकारी के परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नही।

सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

20–किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम तदन्तर्गत बनाए गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हों या किए जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जाएगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

21–(1) इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबंध बना सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नही दिया जायेगा।

(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियिम, 1904 की धारा 23– क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उपधारा (1) की अधीन बनाये गये प्रत्येक आदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते है।

अपवाद

22–इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 22/16/92–का–2–93 दिनांक 9 मार्च, 1993 द्वारा गठित आयोग इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित आयोग समझा जायेगा और उक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के तीन वर्ष के कार्यकाल की संगणना उनके द्वारा अपने पद ग्रहण करने के दिनांक से की जाएगी।

निरसन और अपवाद

23–(1) उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अध्यादेश, 1995 (द्वितीय) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अधिनियमन के कारण

1—मण्डल आयोग मामले (इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकार ने तारीख 9 मार्च 1993 की अधिसूचना द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया। यह विनिश्चय किया गया कि उक्त आयोग के गठन को एक अधिनियमिति द्वारा विनियमित किया जाए। आगे यह भी निश्चित किया गया कि पिछड़े वर्गों की सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में किसी वर्ग के नागरिकों को सम्मिलित करने के लिए अनुरोधों और गलत रूप से सम्मिलित किए जाने या न किये जाने की शिकायतों की जांच करने के अलावा आयोग पिछड़ों वर्गों के हित और कल्याण की सुरक्षा करने की दृष्टि से यथा विनिर्दिष्ट कृत्यों का भी पालन कर सकेगा।

2—राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और इस विषय में तुरन्त विधायी कार्रवाई किया जाना आवश्यक था, अतः उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अध्यादेश 1994 (1994 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्याक — 26) को राज्यपाल द्वारा 17 नवम्बर 1994 को प्रख्यापित किया गया। पूर्वोक्त अध्यादेश के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग विधेयक, 1995 उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 06 फरवरी, 1995 को पुनः स्थापित किया गया था, किन्तु उक्त विधेयक उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित नहीं जा सका और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अध्यादेश 1995 (1995 का उत्तर प्रदेशअध्यादेश संख्यांक 12) राज्यपाल द्वारा 30 मार्च, 1995 को पूर्वोक्त अध्यादेश के उपबन्धों को प्रवर्तन में रखने के लिए प्रख्यापित किया गया।

3—पूर्वोक्त विधेयक 14 जुलाई 1995 से प्रारम्भ होने वाले राज्य विधान मण्डल के सत्र में पारित नहीं किया जा सका और यह विधान सभा में लम्बित रहा। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (दूसरा) अध्यादेश 1995 (1995 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्याक — 34) राज्यपाल द्वारा 25 अगस्त, 1995 को 1995 के पूर्वोक्त उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 12 के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रख्यापित किया गया।

4—राष्ट्रपति ने 18 अक्टूबर 1995 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन एक उद्घोषणा जारी की जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ यह घोषणा की कि राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग सदस्य द्वारा या उसके अधिकार के अधीन किया जाएगा। संसद में अब संविधान के अनुच्छेद 357 (1) (क) के अधीन, उत्तर प्रदेश राज्य की विधि बनाने की विधान मंडल की शक्तियां उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 1995 (1996 का 2) के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त कर दी हैं।

5—उक्त अध्यादेश की अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका है और अध्यादेश 07 जनवरी 1996 को समाप्त हो रहा है। अतः यह विनिश्चित किया गया कि उक्त अध्यादेश को राष्ट्रपति अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये।

6—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1995 (1996 का2) की धारा—3 की उपधारा—2 के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति के अधीन राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अधिनियम का अधिनियमन किए जाने के पूर्व इस प्रयोजन के लिए गठित समिति से, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे, परामर्श करेंगे। चूंकि उक्त समिति अभी तक गठित नहीं की गई हैं और यह विषय अतिआवश्यक है। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि अभ्युदाय को उक्त समिति को निर्देश किए बिना अधिनियमित किया जाए।

———